संख्या-298/XXVIII(1)/2009-46/2009

प्रेषक,

केशव देसिराजु
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
नैनीताल/ पिथौरागढ़/ बागेश्वर
पौड़ी/टिहरी/ऊधमसिंहनगर/ अल्मोड़ा/
देहरादून/चम्पावत/उत्तरकाशी/चमोली
एवं रुद्रप्रयाग ।

चिकित्सा अनुभाग-1 देहरादूनः दिनांकः 17-अप्रैल, 2009

विषयः जिला योजना 2009-10 के लेखानुदान द्वारा स्वीकृत आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-405/रा0 यो0आ0/जिला0 यो0/2007-08 दिनांक 13 नवम्बर, 2007 एवं शासनादेश संख्या 624/जिला योजना/रा0यो0आ0/मु0स0/ 2008, दिनांक 24 मार्च, 2008 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके जनपद में जिला योजना 2009-10 की फांट संलग्नक में इंगित योजनाओं हेतु निम्नलिखित लेखाशीर्षकों के अन्तर्गत तालिका के कालम-4 में इंगित धनराशि **रु0 199.36 लाख (रु0 एक करोड़ निनयानवे लाख छत्तीस हजार मात्र)** की धनराशि निम्नलिखित शर्तो के अधीन, श्री राज्यपाल महोदय आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है :-

क्र0सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2009-10 के लेखानुदान में बजट प्राविधान (रु0 लाख में)	अवमुक्त की जाने वाली धनराशि (रु0 लाख में)
1	2	3	4
1.	अनुदान संख्या-12 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय-91-जिला योजना -9101-रा0 आयु0 एवं यूनानी चिकित्सालयों के आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण (जिला योजना) के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य	43.33	43.33
2.	अनुदान संख्या-12 लेखाशीर्षक 4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत- 02-ग्रामीण स्वास्थ्य सेवायें-800-अन्य व्यय -91-जिला योजना-9102-निर्माणाधीन कार्यो को पूर्ण किया जाना के मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य	156.03	156.03
	योग	199.36	199.36

(रु0 एक करोड़ निनयानवे लाख छत्तीस हजार मात्र)

2– जिला योजना अन्तर्गत विगत वर्षों में स्वीकृति चालू योजनाओं हेतु प्राथमिकता के आधार पर अवशेष धनराशि आवंटित की जाय ।

3– रु0 50.00 लाख तक की योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी स्तर से जारी की जायेगी तथा रु0 50.00 लाख से अधिक की स्वीकृति मण्डलायुक्त के अनुमोदन के उपरान्त जारी की जायेगी। स्वीकृतियों के प्रस्ताव प्रशासनिक विभाग के जनपद/मण्डल स्तरीय नोडल अधिकारी द्वारा तैयार कर अर्थ एवं संख्या विभाग के जनपदीय/मण्डलीय कार्यालयों को उपलब्ध करायें जायेगें, जो इस प्रस्तावों को परीक्षण के उपरान्त जिलाधिकारी एवं मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगे।

4– जिला योजना में नये अधिष्ठानों की स्थापना तथा तत्संबंधी अधिष्ठानमें पदो के सृजन विषयक प्रस्तावों पर स्वीकृति वित्त/ नियोजन की सहमति के उपरान्त ही जारी की जायेगी ।

5– निर्माण कार्यो की आगणनों की तकनीकी जांच हेतु जनपद/मण्डल स्तर पर कार्यरत विभिन्न विभागों के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता तथा अवर अभियन्ता को सम्मिलित करते हुए तकनीकी सम्परीक्षा प्रकोष्ठ(टी0ए0सी0)" का पैनल जिलाधिकारी /मण्डलायुक्त गठित करेंगे । पैनल के अभियन्तागण अपने वर्तमान दायित्वों के अतिरिक्त उक्त कार्य का निर्वहन भी करेंगे। टी0ए0सी0 हेतु उन्हें कोई अतिरिक्त वित्तीय लाभ देय नहीं होगा । किसी विभाग के प्राप्त आगणनों की टी0ए0सी0 जांच इतर विभाग के अभियन्ताओं से करायी जायेगी ।

6– त्रिस्तरीय पंचायतों एवं नगर पंचायतो के चयनित प्रतिनिधियों को जिला योजनाओं में अधिकार सम्पन्न बनाये जाने हेतु संविधान के 73 वें एवं 74 वें संशोधन के प्राविधानों के अनुरूप कार्यवाही की जायेगी। इस उद्देश्य से जिला योजना संरचना में वित्तीय आवंटन ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों,जिला पंचायतों एवं नगर पंचायतो की प्राथमिकताओं को चिन्हित करते हुए किया जायेगा ।

7– विकास कार्यो की गुणवत्ता एवं जन सामान्य को योजनाओं का लाभ सुनिश्चित कराये जाने हेतु जिला/मण्डल स्तर पर अर्न्तविभागीय ट्रास्क फोर्स का गठन किया जायेगा । निर्माण कार्य के लिये अभियन्ताओं की तकनीकी गुणवत्ता परीक्षण समिति जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त स्तर पर पृथक–पृथक गठित की जायेगी, ताकि निर्माण कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित हो सकें । किसी विभाग के कार्यो की तकनीकी गुणवत्ता का परीक्षण भी इतर विभागों के अभियन्ताओं द्वारा कराया जायेगा ।

8– जिला/मण्डल स्तर पर जिला योजना संरचना वित्तीय स्वीकृति जारी करने की प्रकिया वित्तीय एवं भौतिक प्रगति संकलन का कार्य नियोजन विभाग के अधीन अर्थ एवं संख्या विभाग के जनपद/मण्डल स्तर के कार्यालयों द्वारा सम्पादित किया जायेगा तथा परीक्षणोपरान्त पत्रावलियां सीधे जिलाधिकारी/मण्डलायुक्त को प्रस्तुत करेंगें। अर्थ एवं संख्या विभाग के जनपद/मण्डल स्तरीय कार्यालयों को यथा आवश्यकता उच्चीकृत एवं सुदृढ़ किया जायेगा । राज्य स्तर पर निदेशक, अर्थ एवं संख्या एक पृथक प्रकोष्ठ गठित कर जिला योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का संकलन करके शासन को समयबद्व उपलब्ध करायेगें ।

9– विभागाध्यक्ष अपने स्तर से भी वार्षिक योजना एवं वार्षिक बजट में जिला योजना का समावेश सुनिश्चित करेंगें। साथ ही जिला योजना संरचना एवं वित्तीय/भौतिक प्रगति का अनुश्रवण करते हुए अपने जनपद/मण्डल स्तर के अधिकारियों को यथा आवश्यकता मार्गदर्शन भी देंगे।

10– जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित योजनाओं में यदि किसी विभाग के अन्तर्गत बाद में योजनाओं के मध्य आंशिक परिवर्तन आवश्यक हो तो विभाग विशेष के लिये अनुमोदित परिव्यय की सीमा तक पुर्नआंवटन/परिवर्तन संबंधित जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा । जनपद के अन्तर्गत अर्न्तविभागीय परिव्यय व्यावर्तन के लिये बजट/परिव्यय की सीमा को देखते हुए शासन(वित्त एवं नियोजन विभाग) से अनुमति आवश्यक होगी ।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Medical Section...

11– जिलाधिकारियों का यह भी दायित्व होगा कि माहवार वित्तीय /भौतिक प्रगति सम्बन्धित मण्डलायुक्त को प्रत्येक माह की 05 तारीख तक उपलब्ध करायेंगें । जिसे मण्डलायुक्तों द्वारा मुख्य सचिव को प्रत्येक माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जायेगा। मण्डलायुक्त प्रतिवेदन की प्रति नियोजन/वित्त एवं सम्बन्धित विभाग के प्रमुख सचिव/सचिव को भी पृष्ठाकित करेंगे ।

12– राज्य योजना आयोग,उत्तराखण्ड जनपदवार परिव्यय निर्धारण के साथ ही जिला योजना संरचना विषयक मार्ग निर्देश समय से, मण्डलायुक्तों, जिलाधिकारियों और विभागाध्यक्षों को प्रेषित करना सुनिश्चित करेगा । आयोग जिला नियोजन एवं अनुश्रवण द्वारा अनुमोदित जिला योजनाओं का राज्य स्तर पर संकलन विकास कार्यो के नियमित अनुश्रवण–मूल्यांकन, समीक्षा प्रगति एवं यथा आवश्यकता भौतिक सत्यापन का कार्य भी करेगा ।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(केशव देसिराजु)
प्रमुख सचिव।

संख्या–378(1)/XXVIII(1)/2009–46/2009 तद्दिनांकित ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मण्डायुक्त, गढ़वाल/कुमाऊं।
3. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा0 मुख्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. अपर मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. निजी सचिव, समस्त मा0 मंत्रिगण को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के अवलोकनार्थ ।
7. निदेशक, अर्थ एवं संख्या, देहरादून।
8. निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवायें, उत्तराखण्ड देहरादून ।
9. संयुक्त निदेशक, राज्य योजना आयोग, उत्तराखण्ड शासन।
10. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक, अर्थ एवं संख्या विभाग, गढ़वाल/कुमाऊं।
11. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय देहरादून /वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग–3 उत्तराखण्ड।
12. समस्त अर्थ एवं संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।
13. निदेशक, एन0आई0सी0, राज्य इकाई, उत्तराखण्ड।
14. समस्त कोषाधिकारी /वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
15. समस्त जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी, उत्तराखण्ड।
16. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव।

C:\Documents and Settings\Administrator\Desktop\Medical Section-1 ...

शासनादेश संख्या–208 (1)/XXVIII(1)/2009–46/2009 दिनांक अप्रैल, 2009 का संलग्नक

1– आयुर्वेदिक चिकित्सालय में आवासीय भवन एवं अनावासीय निर्माण । (धनराशि रू0 लाख में)

क्र0स0	जनपद का नाम	कुल परिव्यय	एस0सी0एस0पी0 अन्तर्गत परिव्यय	लेखानुदान द्वारा स्वीकृत निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि		
				सामान्य	एस0सी0पी0	टी0एस0पी
1	2	3	4	5	6	7
1.	नैनीताल	20.00	-	5.41	-	-
2.	ऊधमसिंह नगर	11.00	-	5.41	-	-
3.	अल्मोड़ा	15.00	5.00	5.46	-	-
4.	पिथौरागढ़	15.90	-	5.41	-	-
5.	पौड़ी	24.00	-	5.41	-	-
6.	चमोली	16.00	-	5.41	-	-
7.	उत्तरकाशी	18.00	-	5.41	-	-
8.	रूद्रप्रयाग	20.00	-	5.41	-	-
	योग	139.90	5.00	43.33	-	-

(रू0 तैतालिस लाख तैंतीस हजार मात्र)

2– राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सा के आवासीय एवं अनावासीय भवनों का कार्य पूर्ण किया जाना

क्र.स.	जनपदवार	कुल परिव्यय	एस0सी0एस0पी0 अन्तर्गत परिव्यय	टी0एस0पी0 अन्तर्गत परिव्यय	लेखानुदान द्वारा स्वीकृत निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि		
					सामान्य	एस0सी0पी0	टी0एस0पी
1	नैनीताल	-			-		-
2	ऊधमसिंहनगर	12.35			04.18	-	-
3	अल्मोड़ा	90.62			24.23	-	-
4	पिथौरागढ़	35.34			14.18	-	-
5	बागेश्वर	65.00			19.18	-	-
6	चम्पावत	48.50	20.00		14.18	-	-
7	देहरादून	59.17		30.46	14.18	-	-
8	पौड़ी	30.80			14.18	-	-
9	टिहरी	63.00			19.18	-	-
10	चमोली	6.00			4.18	-	-
11	उत्तरकाशी	38.22			14.18	-	-
12	रूद्रप्रयाग	19.10			14.18	-	-
13	हरिद्वार	-	-	-	-	-	-
	योग:–	468.10	20.00	30.46	156.03	-	-
	महायोग	608.00	25.00	30.46	199.36		

(रू0 एक करोड़ निन्यानवे लाख छत्तीस हजार मात्र)

(ओमकार सिंह)
अनु सचिव ।